रजिस्टर्ड नं० ब०-33/एस० एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 18 अप्रैल, 1991/28 चैत्र, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 6 अप्रैल, 1991

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि0)-I.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल सनौरां, मौजा ढुगयारी, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयर पोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों एवं श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए क उपबन्ध इस मामल में लागू नहीं होंगे ।

विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : कांगड़ा

गांव	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयरों में
महाल सनौरां		
	488/1	0 02 98
	490/1	0 11 25
	824/495/1	0 01 09
	496/1	0 00 20
कुल	4	0 15 52

शिमला-171002, 6 अप्रैल, 1991

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि0)-I.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल भेड़ी, मौजा वण्डी, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयर पोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी, में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों एवं श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील : कांगड़ा

गांव	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयरों
1	2	3 4 5
महाल भेड़ी	13/2	0 16 48
	48	0 12 66
	49	0 00 21

1	2	3	4	5
	50	0	00	24
	51	0	00	45
	52	0	00	25
	53	0	00	40
	54/2	0	13	24
	55/2	0	04	81
	56/2	0	03	83
	45/1	0	00	36
कुल ..	11	0	52	93

शिमला-171002, 6 अप्रैल, 1991

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि0)-I.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल रछयालू, मौजा वण्डी, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पत्तन (एयर पोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इस से सम्बन्धित हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों एवं श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (4) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5-ए के उपबन्ध इस मामल में लागू नहीं होंगे ।

विवरणी

जिला: कांगड़ा तहसील: कांगड़ा

गांव	खसरा नं0	रकबा हैक्टेयरों में		
1	2	3	4	5
महाल रछयालू	726/1	0	05	96
	729/1	0	03	41
	730	0	00	42
	731	0	01	75

1	2	3 4 5
	732	0 01 52
	733	0 02 31
	734	0 06 39
	735	0 08 72
	736/1	0 01 05
	737	0 15 13
	738/1	0 12 35
	739	0 02 63
	740	0 09 43
	741	0 01 35
	742	0 12 93
	743/1	0 05 03
	744/2	0 12 95
	745/2	0 06 48
	750	0 06 79
	751/2	0 13 66
	756	0 00 56
	757/1	0 03 81
	759	0 04 28
	760/2	0 07 86
	761/2	0 02 83
	782/1	0 07 65
	783/3	0 09 22
	785	0 00 75
	791/2	0 00 27
	792/2	0 01 79
	793/2	0 02 22
	794	0 01 37
	795	0 05 27
	796	0 02 15
	797	0 08 98
	798	0 14 08
	799	0 02 07
	800	0 02 15
	801	0 02 13
	802	0 08 20
	803	0 00 42
	804	0 00 81
	805	0 01 54
	806	0 01 72
	807	0 01 56
	808/1	0 08 87
	809	0 01 36
	810/1	0 07 31
	834/1	01 0 85

1	2	3	4	5
	926/1	0	03	80
	931	0	13	19
	932	0	03	84
	933	0	13	13
	934/1	0	01	25
	935/1	0	05	23
	936	0	00	88
	937	0	12	74
	938	0	01	00
	939	0	03	78
	940	0	05	11
	941	0	00	38
	942	0	07	69
	943	0	01	39
	944	0	02	40
	945	0	01	16
	946	0	12	43
	947	0	04	00
	948/2	0	10	1
	949/2	0	09	3
	964/2	3	03	2
	965/2	0	07	1
	968/2	0	01	2
	969	0	03	0
	970/2	0	01	9
	971	0	04	5
	972	0	01	0
	973	0	02	6
	974	0	02	4
	975	0	04	1
	976	0	01	6
	977	0	01	5
	978/2	0	06	6
	979/2	0	06	3
	980	0	07	8
	981	0	01	8
	982/1	0	05	[illegible]
	1039/2/1	0	00	9
	1040/1	0	00	5
	1048	0	01	4
	1049	0	01	4
	1050/2	0	01	[illegible]
	1051/2	0	02	[illegible]

1	2	3	4	5
	1052/2	0	00	90
	1053/2	0	03	66
	1054/1	0	03	58
	1057/2	0	05	51
	1060/2/1	0	05	88
	1054/3/1	0	02	64
	1061/1	0	02	49
	1062/2/1	0	04	78
	1067/2/1	0	00	82
कुल ..	101	4	58	68

आदेश द्वारा,

के0 सी0 शर्मा,
आयुक्त एवं सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।